मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/777/1875 भोपाल दिनांक 30/10/2019

//आदेश//

"म.प्र.राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम, 1998" के विनियम 48 में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सदस्यों के अवकाश के संबंध में म.प्र. के शासकीय सेवको को लागू होने वाले अवकाश नियम, सेवा के सदस्यो को लागू होना प्रावधानित है।

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी ज्ञाप क्रमांक एफ–6–1/2018/नियम/चार दिनांक 06 अगस्त 2018 से शासकीय सेवको की भांति म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आदेश क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/777/2005 दिनांक 26.09.2018 द्वारा राज्य मंडी बोर्ड सेवा के सेवको के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 (दो सौ चालीस), दिवस से बढ़कर 300 (तीन सौ) दिवस निर्धारित की गई है। उपरोक्त संशोधन राज्य शासन के द्वारा जारी निर्देश के तहत मंडी बोर्ड में दिनांक 01 जुलाई 2018 रो प्रभावशील किया गया है।

म.प्र. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक :एफ 6–1/2018/नियम/चार भोपाल दिनांक 08 मार्च 2019 से राज्य शासन द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2018 के पश्चात् सेवानिवृत्त शासकीय सेवको/सेवा में रहते हुये मृत्यु होने की स्थिति में अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अधिकतम सीमा को बढाकर 300 (तीन सौ) दिवस निर्धारित की गई है। यह आदेश दिनांक 01.07.2018 से प्रभावशील किया गया है।

वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 08.01.1991 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश के नगदीकरण की पात्रता संबंधी गणना की विधि निर्धारित की गई है। इस गणना को क्रमशः परिपत्र दिनांक 29 फरवरी, 1996 एवं दिनांक 25.09.2012 के द्वारा और स्पष्ट किया गया है। इन वर्णित परिपत्रों के अनुसार शासकीय सेवा में नियुक्ति दिनांक से दिनांक 9.03.1987 तक की अवधि के लिये एक वर्ष में 15 दिन तथा दिनांक 09.03.1987 से सेवानिवृत्त की तिथि तक की अवधि के लिए एक वर्ष में 07 दिन के आधार पर कुल पात्रता ज्ञात की जानी है। दिनांक 09.03.1987 के पश्चात की संपूर्ण सेवाअवधि के लिये प्रथमतः दो वर्ष के कालखंड पर 15 दिन की दर एवं शेष अवधि के लिये 07 दिन प्रतिवर्ष की दर से पात्रता की गणना की जानी है। शासन द्वारा प्रदत्त गणना का उदाहरण पत्रक संलग्न है।

अतः उपरोक्त गणना की प्रक्रिया के अध्याधीन म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा के सेवको के दिनांक 01 जुलाई 2018 के पश्चात् सेवानिवृत्त सेवकों/सेवा में रहते हुये मृत्यु होने की स्थिति में अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 300 (तीन सौ) दिवस निर्धारित किया जाता है।

उक्त आदेश दिनांक 01.07.2018 से प्रभावशील होगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

29/10/19

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

\\rajesh-pc\RajeshMistri\Retayard\Order-Retard.doc

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / ख / 777 / 1876 भोपाल दिनांक 30/10 / 2019

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह–अध्यक्ष म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. निज सहायक प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
4. अपर संचालक (वित्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
5. अपर संचालक (समस्त) / प्रमुख अभियंता, म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
6. संयुक्त संचालक (समस्त) / अधीक्षण यंत्री म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
7. कार्यालय संयुक्त संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड ....(सगरत)
8. कार्यालय कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड तकनीकी संभाग ....मुख्यालय..................(समस्त)
9. लेखाधिकारी(लेखा / आडिट / पेंशन) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
10. अध्यक्ष / सचिव कृषि उपज मण्डी समिति ————————— जिला——————(मध्यप्रदेश)
11. आदेश नस्ती / समस्त शाखा / सूचना पटल।

29/X/19

प्रबंध संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

गणना का उदाहरण

स.क्र	विवरण	उदाहरण "अ"	उदाहरण "ब"	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नियुक्ति दिनांक	10-04-1983	1-8-1982	
2.	सेवानिवृत्त	31-7-2018	30-11-2019	
3.	नियुक्ति दिनांक से 9-3-1987 तक कुल सेवा	03 वर्ष 10 माह 29 दिन	04 वर्ष 7 माह 9 दिन	
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा	31 वर्ष 04 माह 21 दिन	32 वर्ष 8 माह 21 दिन	
5.	सरल क्रमांक (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से)	03×15= 45 दिन 1×15= 15 दिन 60 दिन	04×15=60 दिन 01×15=15 दिन 75 दिन	
6.	सरल क्रमांक-4 में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (प्रत्येक दो वर्ष में 15 दिन एवं खण्ड वर्ष में 7 दिन की दर से)	15×15=225 दिन 01×7= 07 दिन 232 दिन	16×15=240 दिन 240 दिन	

टीप- सरल क्रमांक 3 एवं 4 के स्तंभ 3 में खण्ड माह की अवधियों का योग 12 माह से कम होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा । योग 12 माह से अधिक होने पर एक पूर्ण वर्ष माना जाकर निम्नानुसार लाभ दिया जाएगा:-

- **सरल क्रमांक 3 के स्तंभ 3 में खण्ड वर्ष 6 माह से अधिक होने पर 15 दिन गणना में लिये जाएगें।**
- **सरल क्रमांक 4 के स्तंभ 3 में खण्ड वर्ष 6 माह से अधिक होने पर 07 दिन गणना में लिये जाएगें।**
- **सरल क्रमांक 3 एवं 4 के स्तंभ 3 दोनों में खण्ड वर्ष यदि 06-06 माह से अधिक होने पेर 15 दिन गणना में लिया जाएगा ।**

7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता .	292 दिन	315 दिन	–
8.	घटाईये - सेवा के दौरान अवकाश समर्पण का लाभ .	15 दिन	7	–
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता अधिकतम 300 दिवस की सीमा.	277 दिन	शेष 308 दिन (सीमित 300 दिवस)	अधिकतम 300 दिवस की सीमा

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग